197/8

357

दिनॉक 31.12.2020 को धारित अचल सम्पति का विशेष विवरण

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष–:................

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो– **नरेश कुमार शुक्ला**
2. वर्तमान धारित पद– **सहायक सेनानी**
3. वर्तमान वेतन– ....78000=00.... अगली वेतनवृद्वि की तारीख–....01.07.2021....

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		''वर्तमान मूल्य	यदि स्वंय के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है ''' खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा भूमि अन्य भवन	अवासी प्लाट एवं कृषि भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. देवरी कला तहसील–घन्सौर, जिला सिवनी (म.प्र.)	निरंक	1.70 हेक्टेयर कृषि भूमि	12 लाख लगभग	श्रीमती सुनीता शुक्ला (पत्नी)	स्वंय के बचत एंव परिवार के सहयोग से वर्ष–2012 में	5 लाख भगभग	–
2. देवरी कला तहसील–घन्सौर, जिला सिवनी (म.प्र.)	निरंक	2.85 हेक्टेयर कृषि भूमि	20 लाख लगभग	स्वंय के नाम पर	स्वंय के बचत एंव परिवार के सहयोग से वर्ष–2013 में	10 लाख लगभग	–

'जहॉ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहॉ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहॉ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

''' इससे अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी–: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह आपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम–....एन. के. शुक्ला....

पद–....सहायक सेनानी....

04/01/2021